NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लाईज संघ

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 66 /NCRES/19 | Date : 23.02.2019

श्रीमान मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः- नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के इलाहाबाद मंडल में JE/टेली की 20% इन्टरमीडिएट अप्रेन्टिस कोटे की परीक्षा में पात्रता हेतु कर्मचारियों का ट्रेनिंग पीरियड न जोड़ा जाना।

सन्दर्भः– महाप्रबन्धक स्तर पर NCRES PNM मद संख्या 14/11/2018

महोदय,

महाप्रबन्धक स्तर पर NCRES के साथ हुई PNM दिनांक 23 व 24 जनवरी 2019 में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि झाँसी मंडल एवं आगरा मंडल की तर्ज पर इलाहाबाद मंडल में भी रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एन.जी)I–93/पी.एम.I/4 दिनांक 18.01.1993 के आलोक में 20% इन्टरमीडिएट अप्रेन्टिस कोटे की परीक्षा में पात्रता हेतु कर्मचारियों का ट्रेनिंग पीरियड जोड़ा जाएगा एवं जिस कर्मचारी का फार्म जमा होने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया था उसके बारे में 31 जनवरी तक निर्णय ले लिया जाएगा एवं रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 18.01.1993 को नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में पुनः जारी किया जायेगा।

खेद के साथ अवगत कराना है कि पी.एन.एम. के एक माह बाद भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गयी है। अतः संघ की मांग है कि 20% इन्टरमीडिएट अप्रेन्टिस कोटे की परीक्षा में ट्रेनिंग पीरियड जोड़ने सम्बन्धी रेलवे बोर्ड का आदेश दिनांक 18.01.1993 को नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में पुनः जारी किया जाय एवं छूटे कर्मचारी की परीक्षा कराने हेतु उचित आदेश जारी करने का कष्ट करें ताकि कर्मचारियो में आक्रोश एवं असंतोष को खत्म किया जा सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री